

No. 19030/6/2010-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 10th February, 2012

Office Memorandum

Subject: Concession to persons re-employed in Government Service : Payment of Travelling Allowance- reg.

References have been received whether the Travelling Allowance (TA) admissible to pensioners re-appointed to Govt. service, under SR 107 of FR & SR Part II (Travelling Allowance Rules) includes TA in respect of family of the pensioner and other TA entitlements which a serving Government official is normally entitled to on transfer.


2. The matter has been considered and it has been decided that pensioners re-employed to posts, where holding of a post under the Central Government is a pre-requisite for such re-employment or where the Recruitment Rules of the post to which the pensioner is re-employed provides this as one of the qualifications, would be entitled to Travelling Allowance subject to the following:-

i) The entitlement for Travelling Allowance would be with reference to the post last held and the last pay drawn under the Government, at the time of retirement.

ii) The provisions of SR 116 of the TA Rules, as admissible to Govt. officials on transfer in public interest, would be applicable.

iii) Unless provided for in the terms & conditions of the post where the pensioner is re-employed, if 'TA on Retirement' has already been claimed by the re-employed pensioner from the office/organization from where he has retired/superannuated, no additional TA would be admissible on expiry of the term of his re-employment. If the re-employed pensioner has not claimed 'TA on Retirement' within six months of his retirement and he is re-employed under the Central Govt. before the expiry of six months from his date of superannuation/retirement, he can claim 'TA on Retirement' after expiry of the term of his re-employment, with reference to the post held at the time of retirement and pay last drawn at the time of retirement, in terms of GoI Order No. 2 below SR 147. In such an event, the 'TA on Retirement' would be reimbursed by the office/organization from where the re-employed pensioner had retired/superannuated.

3. Past cases, already settled would not be re-opened.


(Subhash Chand)

Deputy Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments of the Govt. of India, etc. as per standard distribution list

Copy to:

1. C&AG and UPSC, etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.
2. All Financial Advisers.
3. NIC, MoF with the request to upload the OM on the website of this Ministry.

कार्यालय जापन

विषय: सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों को रियायत : यात्रा भत्ते के भुगतान के संबंध में।

इस संबंध में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं कि फण्डामेंटल रूल्स एवं सप्लीमेंटरी रूल्स भाग II (यात्रा भत्ता नियमावली) के एसआर 107 के अंतर्गत सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों को अनुमत यात्रा भत्ते में क्या पेंशनभोगी के परिवार के संबंध में यात्रा भत्ता और अन्य यात्रा भत्ता पात्रताएं भी शामिल हैं जिनका सेवारत सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण पर सामान्यतः हकदार होता है।


2. इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे पदों पर पुनर्नियोजित पेंशनभोगी जहां केन्द्र सरकार के अधीन एक पद का धारण किया जाना ऐसे पुनर्नियोजन के लिए पूर्वापेक्षा है अथवा ऐसे पद जिस पर पेंशनभोगी को पुनर्नियोजित किया गया है, के भर्ती नियमों में इसका एक योग्यता के रूप में प्रावधान किया गया है, निम्नलिखित के अधीन यात्रा भत्ते के हकदार होंगे:

i) यात्रा भत्ते की पात्रता, सरकार के अधीन अंतिम धारित पद तथा सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के संदर्भ में होगी।

ii) जैसा कि जनहित में स्थानांतरण पर सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है, यात्रा भत्ता नियमावली के एसआर 116 के प्रावधान लागू होंगे।

iii) यदि पुनर्नियोजित पेंशनभोगी द्वारा उस कार्यालय अथवा संगठन से जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है/ अधिवर्षिता प्राप्त की है, सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का पहले ही दावा किया जा चुका है तो जब तक उस पद, जहां पेंशनभोगी पुनर्नियोजित है, की शर्तों में प्रावधान न हो, कार्यकाल की समाप्ति पर कोई अतिरिक्त यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। यदि पुनर्नियोजित पेंशनभोगी ने अपनी सेवानिवृत्ति के छः माह के अंदर सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा नहीं किया है तथा अपनी अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति की तारीख से छः माह की समाप्ति से पहले केन्द्र सरकार के अधीन उसे पुनर्नियोजित किया जाता है, तो वह एसआर 147 के अंतर्गत भारत सरकार के आदेश सं. 2 के संदर्भ में सेवानिवृत्ति के समय धारित पद और सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के संदर्भ में अपनी पुनर्नियोजन की अवधि की समाप्ति के पश्चात सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में उस कार्यालय/संगठन जहां से पुनर्नियोजित पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था/ अधिवर्षिता प्राप्त की थी, द्वारा सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. पिछले मामले जिनका पहले ही समाधान किया जा चुका है, दोबारा नहीं खोले जाएंगे।



(सुभाष चंद्र)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:

1. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।
2. सभी वित्त सलाहकार।
3. एनआईसी, वित्त मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय जापन को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।